न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 29/2019 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार सेठी पुत्र श्री अशोक कुमार सेठी एफबीओ मैसर्सः— सेठी प्रोविजन स्टोर, बिवाई दौसा, निवासी मैन बाजार, बिवाई, तहसील बसवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री एस. पी. गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 06.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.03.2019 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्सः— सेठी प्रोविजन स्टोर, बिवाई दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मुकेश कुमार सेठी पुत्र श्री अशोक कुमार सेठी निवासी मैन बाजार, बिवाई, तहसील बसवा जिला दौसा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक प्लास्टिक कट्टे में करीब 20 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) खरीदा। जिसकी कीमत 300 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) को प्लास्टिक के चार जार में बराबर—बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया। चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को जार पर चिपकाकर जार को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर जार पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.— 2134 गोंद से चिपकाकर जार को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर जार को चार—चार जगह से चपडी से

प्रति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सील मोहर कर जार पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द जार को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद जार एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद जार व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.03.2019 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द जार व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.03.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद जार व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.03.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./720/एक्ट/2019/385 दिनांक 01.04.2019 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011, का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./720/एक्ट/2019/385 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011, का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाये जाने के कारण अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी की बिंवाई गांव में परचुनी की दुकान है तथा फुटकर में खाद्य सामग्री जिसमे दाल व पिसे हुये मसाले भी बेचता है। प्रार्थी द्वारा स्वयं ही हल्दी की पिसाई कर थैलियों में पैक कर ग्राहकों को बेचान करता है उस दिन भी हल्दी बाकायदा पोलिथीन की पैकिंग में थी लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान में अन्दर घुसकर पीपे में पिसकर आई हुई हल्दी में से ही नमूना जानबूझकर लिया गया। प्रार्थी के नमूने की जांच में एफ.एस.एस. एक्ट में जो मानदण्ड दे रखे है उसके अनुसार ही हल्दी पाउडर बनाया गया है। कोई मिलावट प्रार्थी के खाद्य पदार्थ में नहीं थी। केवल मात्र खुली हुई हल्दी में से नमूना लेने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी गावं में परचुनी की दुकान करने वाला साधारण दुकानदार है। प्रार्थी का यह कृत्य लघु प्रकृति का अपराध है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध परिवाद को समाप्त किया जावे।

अतिo जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रे एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./720/एक्ट/2019/385 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011, का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का विक्रय किये जाने से नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुकेश कुमार सेठी पुत्र श्री अशोक कुमार सेठी एफबीओ मैसर्सः– सेठी प्रोविजन स्टोर, बिवाई दौसा, निवासी मैन बाजार, बिवाई, तहसील बसवा जिला दौसा पर 2,000/–(अक्षरे दो हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.11.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/2418- 2420 दिनांकः–07 .11.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मुकेश कुमार सेठी पुत्र श्री अशोक कुमार सेठी एफबीओ मैसर्सः– सेठी प्रोविजन स्टोर, बिवाई दौसा, निवासी मैन बाजार, बिवाई, तहसील बसवा जिला दौसा

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official